न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 11 / 2020
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2020 / 00062

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

1. श्री कान्तिलाल पिता गेफरजी जाति वेद निवासी कुपडा तहसील व जिला बॉसवाडा
2. श्रीमती सविता बेवा स्व. मणिलाल वेद जाति वेद निवासी कुपडा तहसील व जिला बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री किशनलाल पिता श्री शंकरलाल जाति वेद निवासी कुपडा
2. श्रीमती कान्ता बेवा स्व.शंकरलाल जाति वेद निवासी कुपडा
3. श्री भगवती लाल पिता श्री भुरा जाति वेद निवासी कुपडा
4. श्री रमणलाल पिता श्री भुरा जाति वेद निवासी कुपडा
5. श्री रविराज राठौड पिता श्री मोहनलाल राठौड जाति राठौड निवासी शिवपुर तहसील व जिला रतलाम
6. श्रीमती रमिला जैन पत्नि श्री महेन्द्र जैन जाति जैन निवासी 4 / 41 खान्दु कोलोनी बॉसवाडा
7. श्री राजेन्द्र पिता श्री मणिलाल वेद जाति वेद निवासी कुपडा
8. श्री देवीलाल पिता मणिलाल वेद निवासी कुपडा
9. तहसीलदार तहसील बॉसवाडा

उपस्थित

श्री प्रवीण चन्द्र सुथार, एडवोकेट

श्री कुलदीप आचार्य एड्वोकेट
श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 23.12.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कुपडा पटवार हल्का कुपडा [illegible]सील व जिला बॉसवाडा के आराजी सर्वे नंबर 1[illegible]49 [illegible] 0.11 बिघा, सर्वे नंबर 1235 / 49 रकबा 0.05 बिघा व सर्वे नंबर 1235/49 रकबा 1.05 बि[illegible] रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 श्री किशनलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:59:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

पिता श्री शंकरलाल जाति वेद निवासी कुपडा, श्रीमती कान्ता बेवा स्व.शंकरलाल जाति वेद निवासी कुपडा, श्री भगवती लाल पिता श्री भुरा जाति वेद निवासी कुपडा, श्री रमणलाल पिता श्री भुरा जाति वेद निवासी कुपडा के नाम दर्ज रेकार्ड थी। अपीलांट के अनुसार रेस्पोडेंट सं. 5 व 6 श्री रविराज राठौड पिता श्री मोहनलाल राठौड जाति राठौड निवासी शिवपुर तहसील व जिला रतलाम, श्रीमती रमिला जैन पत्नि श्री महेन्द्र जैन जाति जैन निवासी खान्दु कोलोनी बॉसवाडा ने षडयन्त्र पूर्वक तरिके से रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 से विक्रय पत्र तैयार कर दिया। जिस पर तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा 2211 दिनांक 06.10.2020 खोला गया। इससे अप्रसन्न, असन्तुष्ट व व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी के तहत रेकार्ड में ताफैसला अपील प्रकरण, कोई परिवर्तन नही करने, किसी प्रकार का हस्तान्तरण अन्य किसी को नही करने व यथा स्थिति रेकार्ड व मौके पर बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्टस् को समन जारी किये गए। रेस्पोडेंट सं. 1, 2, 3, 4, 8 की ओर से श्री कुलदीप आचार्य व रेस्पोडेंट सं. 6 की ओर से श्री जयेन्द्र पुरोहित अधिवक्ता के अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुए। रेस्पोडेंट सं. 7 का नोटिस बाद तामिल प्रस्तुत हुआ, रेस्पोडेंट सं. 5 का नोटिस तामिल अदम तामिल प्राप्त नही होने से नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया, डाक विभाग के ऑन लाईन विवरण अनुसार अप्रार्थी के पते पर पहुंचा किन्तु उक्त अप्रार्थी सं. 5 व 7 पेशी पर आज दिनांक 10.12.2021 तक उपस्थित नही हुए, इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये तथा अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4, 6 व 8 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने से इनके जवाब बंद किये गये। भूमिधारी तहसीलदार बॉसवाडा एक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब लिया जाना अपेक्षित नही है।

दिनांक 10.12.2021 को उपस्थित अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट सं. 1, 2, 3, 4, 6 व 8 के अधिवक्ताओं की ओर से अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

तहसीलदार बॉसवाडा के नामांतरकरण 2211 दिनांक 06.10.2020 के आधार पर रेकार्ड में ताफैसला अपील प्रकरण, कोई परिवर्तन नहीं करने, किसी प्रकार का हस्तान्तरण अन्य

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:59:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाँसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

किसी को नही करने व यथा स्थिति रेकार्ड व मौके पर बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश हेतु प्रार्थना पत्र पर सुना गया। स्थगन के सम्बन्ध में काई ठोस कारण स्पष्ट नही होने एवं प्रकरण पूर्व से ही सिविल न्यायालय बॉसवाडा में लम्बित होने के कारण स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिये गयें।

प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1, 2, 3, 4, 8 के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि अपीलार्थी व रेस्पोडेंट सं. 7 व 8 के पूर्वज मंगलिया पिता जुईता वेद के कब्जे काश्त की कृषि भूमि सर्वे नं. 1214/49 रकबा 0.11 बिघा, सर्वे नंबर 1235/49 रकबा 0.05 बिघा व सर्वे नंबर 1255/49 रकबा 1.05 बिघा ग्राम कुपडा पटवार हल्का कुपडा तहसील व जिला बॉसवाडा में स्थित होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पारित होने से पूर्व से अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 07 व 08 का परिवार प्रश्नगत भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में सहवन त्रूटि से रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 का नाम है जिसकी जानकारी अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 7 व 8 को नही थी। प्रश्नगत कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 7 व 8 के कब्जे काश्त में है। रेस्पोडेंट सं 5 व 6 श्री रविराज राठौड पिता श्री मोहनलाल राठौड जाति राठौड निवासी शिवपुर तहसील व जिला रतलाम, श्रीमती रमिला जैन पत्नि श्री महेन्द्र जैन जाति जैन निवासी खान्दु कोलोनी बॉसवाडा ने षडयन्त्र पूर्वक रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 श्री किशनलाल पिता श्री शंकरलाल जाति वेद निवासी कुपडा, श्रीमती कान्ता बेवा स्व.शंकरलाल जाति वेद निवासी कुपडा, श्री भगवती लाल पिता श्री भुरा जाति वेद निवासी कुपडा, श्री रमणलाल पिता श्री भुरा जाति वेद निवासी कुपडा से विक्रय पत्र तैयार कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट्स ने विक्रय पत्र निरस्ती हेतु माननीय सिविल कोर्ट बॉसवाडा में वाद पत्र पेश किया है एवं उपखण्ड न्यायालय बॉसवाडा में अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया है। अतः षडयंत्र पूर्वक पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खाले गये नामान्तरकरण सं. 2211 दिनांक 06.10.2020 को निरस्त करने निवेदन किया।

रेस्पोडेंट सं. 6 [illegible] कि प्रश्नगत भूमि जो रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 के नाम दर्ज रेकार्ड [illegible] सं. 5 व 6 ने क्रय की है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज [illegible] द्वारा नामांतरकरण सं. 2211

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:59:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

दिनांक 06.10.2020 से रेस्पोडेंट सं. 5 व 6 के नाम नियमानुसार दर्ज रेकार्ड किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खाले गये नामान्तरकरण को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। अपीलांट द्वारा भी रस्पोडेंट्स के विरुद्ध माननीय सिविल न्यायालय बॉसवाडा में वाद पत्र पेश किया है जो कि माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, अपीलांट द्वारा विधि विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

प्रकरण मे तहसीलदार बॉसवाडा को पक्षकार बनाया गया है, लेकिन वह एक औपचारिक एवं आवश्यक पक्षकार है। इसलिए उसे सुनने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर स्वीकृत किया है, जिसमे कोई विधिक भूल नही की है। जब तक विक्रय–पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नही किया जाता तब तक विक्रय–पत्र प्रभावी है एवं उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण भी विधि अनुरूप है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2211 दिनांक 06–10–2020 ग्राम कुपडा तहसील बॉसवाडा का यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:59:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner